कार्यालय निदशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–4डी(1)/मृ0आ0/क0स0/48/2023/ लखनऊः दिनांकः 18/01/2024

// आदेश //

स्व0 संतोष कुमार मिश्रा, डेन्टल हाईजिनिस्ट कार्यालय जिला चिकित्सालय गोण्डा की मृत्यु दिनांक 14.06.2022 को सेवाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्र श्री समर्थ मिश्रा की नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा–नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम/उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–4 के पत्रावली सं0–5–4099/901/ 2022–4–I/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के अनुसार, कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–6/12/73–का–2– 2022/टी0सी0–VI (II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राख्यापित "उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेरहवां संशोधन) नियमावली 2022" में निहित प्राविधान के अन्तर्गत निदेशक (दन्त), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–31फ/दन्त/2023–24/30, दिनांक 08.01.2024 एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के पत्रांक– मु0चि0अ0/मृतक आश्रित/2023/14462 दिनांक 27.12.2023 के साथ नियंत्रक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय सम्बद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा का पत्र संख्या–ए0एस0एम0सी0/2023/मृतक आश्रित/1950, दिनांक 21.12.2023 की संस्तुति एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर **उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 के पत्रांक–343/71–3–2022–03/2019, दिनांक 06.12.2022 को दृष्टिगत रखते हुए** मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0–2000/–(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–3) में समय–समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में ''उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली–1994'' के अंतर्गत अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा के समक्ष निम्नलिखित अभिलेख को प्रस्तुत करना होगा :–
   - (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
   - (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
   - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आपको भली–भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
   - (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
   - (ड़) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
   - (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली–2022, कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–6/12/73–का–2–2022/टी0सी0–VI (II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और प्रवीणता अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0शासन अधिसूचना संख्या–6/12–73–का–2–2001, दिनांक 12.10.2001 में नियम–5 का संशोधन) के बिन्दु–3 एवं बिन्दु–4 में यह प्राविधान है कि– उक्त नियमावली में नियम–5 में वर्तमान उपनियम–2(2) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात– ''(3) उपनियम(1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम(1) के अधीन होगी कि उप नियम(1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे''4– जहॉं उपनियम(1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए व उपनियम–(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति शासनादेश दिनांक 12.10.2001 में दिये गये इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री समर्थ मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष कुमार मिश्रा परिवार के अन्य आश्रितों का भरण–पोषण एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

7. मृतक कर्मचारी, पति–पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत् की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री समर्थ मिश्रा की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर 2024 के अंतिम सप्ताह में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख–रेख में सम्पन्न किया जाना है।
11. उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेगें, जिस हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रूचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
12. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
13. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
14. यदि भविष्य में श्री समर्थ मिश्रा द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री समर्थ मिश्रा के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
15. श्री समर्थ मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली–1994 से आच्छादित रहेगी।

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस0
निदेशक (प्रशासन)

संख्या–4डी(1)/मृ0आ0/क0स0/48/2023/444-57 तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–4
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल गोण्डा।
6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
7. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सम्बद्ध जिला चिकित्सालय गोण्डा।
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय सम्बद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि स्व0 संतोष कुमार मिश्रा, डेन्टल हाईजिनिस्ट के समस्त सेवाभिलेखों की पत्रावली मूलरूप में एवं श्री समर्थ मिश्रा द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को राजपत्रित अधिकारी के साथ सम्बन्धित पटल सहायक के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा को व्यक्तिगत रूप में मिलान करते हुए हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया जाता है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बाबू ईश्वर शरण जिला चिकित्सालय सम्बद्ध स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा द्वारा प्राप्त कराये गये समस्त अभिलेखों का मिलान करते हुए श्री समर्थ मिश्रा के स्वस्थ्य परीक्षणोपरान्त प्राप्त अभिलेखों/शैक्षिक प्रमाण–पत्रों का भली–भाँति सत्यापन सम्बन्धित संस्था से कराकर संतुष्ट होने के उपरान्त ही उन्हें योगदान कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या–04, 06, 07, 08, 09 एवं 10 पर वांछित अभिलेख/आख्या समय–समय पर पूर्ण होने की दशा स्थिति में उसकी एक–एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी गोण्डा।
12. श्री समर्थ मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष कुमार मिश्रा–निवासी– निकट विनोद सिनेमा, मोहल्ला गोलागंज गोण्डा–271001 को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा से संपर्क स्थापित कर, अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त अपना प्रथम योगदान देना सुनिश्चित करें। (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नरेट, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि श्री समर्थ मिश्रा पुत्र स्व0 संतोष कुमार मिश्रा, निवासी– निकट विनोद सिनेमा, मोहल्ला गोलागंज गोण्डा–271001 का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

18.01.2024

(डा0 रंजना खरे)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)